न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2018/00046 जिला–नागौर

1. प्रहलाद सिंह पुत्र मान सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र मान सिंह
   दोनों जाति राजपूत निवासी लादड़िया तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।
2. हल्का पटवारी लादड़िया तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना दिनांक 20–1–2017
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2017

उपस्थित– 1. श्री तेजेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः–18–09–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तहसीलदार डीडवाना द्वारा ग्राम लादडिया तहसील डीडवाना के खाता नम्बर 117 के खसरा नम्बर 897/375 व 898/375 जो कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजियात है एवं अन्य खसरा नम्बर जो अन्य खातेदारी की भूमिया है बाबत सूचि बनाई जाकर एक आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86

की धारा 131 व 132 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने का कथन अंकित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए अविधिक रूप से अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता दर्ज करने एवं नजरी नक्शा में रास्ता तरमीम करने का आदेश दिनांक 20–1–2017 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश दिनांक 20–1–2017 की जानकारी प्रार्थीगण को पटवारी हल्का के द्वारा हुई जिस पर प्रार्थीगण दिनांक 11–1–2018 को उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के कार्यालय में आदेश की नकल लेने हतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 15–1–2018 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात दिनांक 24–1–2018 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर विधिक राय लेकर उक्त आदेश के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थीगण अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रास्ते बाबत कोई प्रावधान नहीं है इसके बावजूद अपीलार्थीगण की भूमि में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को नोटिस तामील नहीं करवाये गये एव ंना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया बल्कि तहसीलदार डीडवाना ने अपने कार्यालय में ही नोटिस नहीं लेने बाबत कथन अंकित कर फर्जी तामील कराकर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना व तहसीलदार ने मिलीभगत कर अविधिक आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–11–2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा इस प्रार्थना पत्र को वर्ष 2016 में कहीं पर भी दर्ज नहीं किया गया तत्पश्चात प्रकरण को धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 8/2017 अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की तारीख की सील लगाई गई एवं बिना मौके की जांच किये दिनांक 20–1–2017 को पेशी नियत कर अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना खातेदारी भूमि में कोई रास्ता दर्ज नहीं होते हुए भी रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि राजस्थन काश्तकारी अधिनियम में रास्ते बाबत धारा 251 व 251 (क) के तहत प्रावधान दिये गये है उक्त प्रावधानों के तहत ही विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रभावित पक्ष सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। किसी भी प्रकार का आदेश, परिपत्र द्वारा कोई कार्यवाही विधि के विरूद्ध नहीं की जा सकती है जो विधि में प्रावधान है उसी अनुरूप न्यायिक कार्यवाही के तहत समुचित आदेश पारित करना आवश्यक है। अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा अपीलार्थी की खातेदारी खेत की भूमि के आगे कोई खेत नहीं है तथा न ही कोई रास्ता है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा अविधिक कार्यवाही कर बिना भौतिक जांच किये उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना ने अवधिक आदेश दिनांक 20–1–2017 पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार डीडवाना के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में से जनहित व लोकहित को

दृष्टिगत रखते हुए गैर मुमकिन रस्ता घोषित किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम लादडिया के खाता नम्बर 117 के खसरा नम्बर 897/375 व 898/375 जो कि अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है में से राजस्व रेकार्ड में रास्ता घोषित किये जाने की अभिशंषा की गई। जबकि उक्त खसरा नम्बर अपीलार्थीगण की निजी खातेदारी की आराजी है खातेदारी की आराजियात में से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जांच किये राजस्व रेकार्ड में रास्ता घोषित किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जबकि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा अपीलार्थीगण की खातेदारी खेत की भूमि के आगे कोई खेत नहीं है तथा न ही कोई रास्ता है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात ग्राम लादडिया के खाता नम्बर 117 के खसरा नम्बर 897/375 व 898/375 जो कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजियात है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी खातेदारी की आराजियात में से नजरी नक्शेनुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता घोषित करने का आदेश पारित कर दिया जबकि निजी खातेदारी की आराजियात में से राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति की जानकारी एवं पड़ौसी खातेदारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। साथ ही तहसीलदार के समक्ष किसी भी ग्रामवासी द्वारा रास्ता दर्ज करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हो ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ना ही अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजियात में से कभी रास्ता दर्ज रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार, डीडवाना की अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थीगण की ग्राम लादडिया स्थित निजी खातेदारी की आराजियात खाता नम्बर 117 के खसरा नम्बर 897/375 व 898/375 में से राजस्व रेकार्ड में रास्ता घोषित किये जाने का एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2017 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—1—2017 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात खाता नम्बर 117 के खसरा नम्बर 897/375 व 898/375 की मौके की जांच कर तहसीलदार, डीडवाना से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थीगण को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पड़ौसी खातेदारान को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से अपीलार्थीगण व मौतबिरान की मौजूदगी में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18—09—2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर